121

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर, कैंप कोर्ट रीवा

म0प्र0 R.S122-दो/16

श्रीमती ललिता सिंह पत्नी रावेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इटौरा तह0 कोटर (रामपुर बाघेलान) जिला सतना म0प्र0....निगराकार

वनाम

शासन म0प्र0..गैरनिगराकार

आवेदक अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार ... द्वारा पेश। 4-3-16

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 17/अपील/2015-16 आदेश दिनांक 07.12.15

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत करती है-

प्रकरण के संछिप्त तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा अवेर की आराजी नम्वर 98 जिसका कुल रकवा 34.60ए0 है परंतु पूरी आराजी में खसरे में आठ बटांक कायम है जिनके सवके अलग-अलग भूमिस्वामी है। आराजी नम्वर 98/1 रकवा 7.70ए0 म0प्र0 शासन के स्वत्व में है तथा शेष सात बटांक अनेक व्यक्तियों के भूमिस्वामी स्वत्व में है जिसमें से आराजी नम्वर 98/3 निगराकार के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिसे उसने 2009 में जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय किया है। दिनांक 22.11.11 को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान व उनके साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी पटवारी सहित उस टीम में थे जिसने मौके की जांच की जिसमें जांच में आराजी नम्वर 98 में मुरूम उत्खनन का एक गड्ढा पाया गया जिसकी नापकर एक नक्शा तैयार कराया गया जिसमें गड्ढे की नाप की सभी भुजाएं अंकित है जिसका कुल रकवा आधे दक्षिणी भाग पर 2.20ए0 है जिसके आधार पर सभी सातों भूमिस्वामियों के विरूद्ध अवैध उत्खनन का नोटिस जारी किया गया तब निगराकार व अन्य भूमिस्वामियों ने नोटिस का जवाव दिया तथा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, पटवारी नक्शें में किसी बटांक का तरमीम नही है परंतु मौके के गड्ढे के आधार पर अवैध उत्खनन मानते हुये सातो

ललिता सिंह

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5122–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
२५ –10–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 17/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07.12.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्राम अबेर की आराजी कमांक 98 केकुल 8 बटांक है जिसके अलग–अलग भूमिस्वामी हैं किन्तु नक्शे में बटांक तर्मीम नहीं है। उक्त आराजी में अवैध उत्खनन करना प्रमाणित हुआ है विचारण न्यायालय में खनिज निरीक्षक एवं पटवारी के शपथ–पत्र एवं कथन लिये गये है तथा आवेदक को प्रति परीक्षकण का अवसर भी दिया है। उक्त रकवे में आवेदक की आराजी खसरा कमांक 98/3 रकवा 1.214 है0 अभिलिखित हैं इस प्रकार संपूर्ण रकेवे में से आवेदक के रकवा के अनुसार उसके ऊपर केवल 1,00,000/– का दण्ड अधिरोपित किया गया है मौके पर अवैध उत्खनन होना प्रमाणित है तथा किसी भी पटट्दार द्वारा अवैध उत्खनन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दिया जाना नहीं पाया जाता । आवेदक द्वारा भी ऐसी	

कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कीगई कि उसके द्वारा उत्खनन नहीं किया गया तथा उसने अवैध खनन के विरूद्व शिकायत सक्षम प्राधिकारी के सामक्ष दर्ज कराई हो जबकि किसी पटट्दार की भूमि परअवैध खनिज उत्खनन की सूचना देना लोक हित में पटट्दार का दायित्व हैं अपना रकवा नक्शे में सुरक्षित कराने की कार्यवाही भी आवेदक द्वारा नहीं की गई है । जिससे यह सिद्व होता हो कि उत्खनन आवेदक के रकवे में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा भूमि खसरा कमांक 98 पर हुये अवैध उत्खनन को प्रमाणित पाते हुये आवेदक एवंअन्य खातेदारों के ऊपर संयुक्त रूप से रूपये 7,40,000/–(सात लाख चालीस हजार) जिसमें से आवेदक के ऊपर केवल 1,00,000/– (एक लाख रूपये) अधिरोपित की गई है वह उचित प्रतीत होती है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 17/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07.12.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य